पत्र संख्या–बी / विधि–व्यवस्था–01 / 2016 3460 /

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक / जिला पदाधिकारी / वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक।
बिहार।

पटना, दिनांक–07 अप्रील, 2016

विषय– सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं / योजनाओं / लाभ एवं सेवाओं में लाभुकों के निर्धारण के समय "अपराध के दीवानी अंजाम" (Civil Consequences of Crime) के तहत सिद्धदोष अभियुक्तों की संधारित सूची के उपयोग के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कानून का राज स्थापित करने के उद्देश्य से चरणबद्ध रूप में 'त्वरित विचारण' एवं 'त्वरित अपील' के पश्चात् "अपराध के दीवानी अंजाम" (Civil Consequences of Crime) योजना प्रारम्भ की गई। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के आपराधिक मुकदमों में सिद्धदोष होने पर सजा प्राप्त वैसे व्यक्ति जिनकी अपील (सजा के विरुद्ध) सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दी गई है, के संबंध में विस्तृत विवरणी के साथ सूचना गृह विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है, जिसे कोई भी व्यक्ति http://home.bih.nic.in एवं http://210.212.23.53/prison पर click कर देख सकता है।

2. विदित हो कि विभिन्न सरकारी योजनाओं, नियुक्तियों, अनुज्ञप्तियों के आवेदन में आवेदकों से इस आशय की सूचना माँगी जाती है कि "क्या आवेदक को किसी मामले में सजा हुई है?" कई बार इस सूचना को ऐसे व्यक्ति द्वारा छुपा लिया जाता है जिसे ऐसी सजा मिली हो, जिस कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त लाभ / अनुज्ञप्ति / कार्य इत्यादि मिल जाते हैं जो संभवतः उक्त सूचना की जानकारी होने पर नहीं मिल पाते।

3. राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है तो वह भली–भाँति समझ ले कि अपराध करने के बाद न सिर्फ सजा हो सकती है, बल्कि सजा के अलावा उन्हें अन्य कई प्रकार की सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वर्तमान में तो कोई अपराध नहीं किया है, परन्तु ऐसी मनोवृत्ति रखते हों वे अपराध के दीवानी अंजाम की आशंकाओं से आपराधिक मनोवृत्ति पर नियंत्रण रख सकेंगे।

4. यह डाटाबेस कारा एवं सुधार सेवाएँ निदेशालय, गृह विभाग द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किया जायेगा। इसे गृह विभाग, बिहार की वेबसाईट http://home.bih.nic.in के होम पेज पर Civil Consequences of Crime के नाम के link पर click करने पर देखा जा सकता है। उक्त पृष्ठ पर जिला, कारा, पी0एस0 नम्बर, जी0आर0 नम्बर, एस0टी0आर0 नम्बर, कैदी का नाम, पिता का नाम, कारा में प्रवेश की तिथि, कारा से मुक्ति की तिथि, सजा होने की तिथि आदि के आधार पर भी search कर देखा जा सकता है। वर्तमान में इस सूची में दर्ज व्यक्तियों की कुल संख्या 21057 है। सुविधा हेतु वेबसाईट खोलने का तरीका साथ में संलग्न है।

5. कोई निजी कंपनी / संस्था / व्यक्ति संविदा देने हेतु / नौकरी देने हेतु / कार्य देने हेतु किसी व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो वे भी इस वेबसाईट को देखकर ऐसे व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके आधार पर उचित निर्णय ले सकते हैं। अतः इस सुविधा / सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार आम जनमानस के बीच भी किया जाए।

कृ0पृ0उ0